जारी
17.12.19

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–872-A xxiv–B–1/19–32(02)/2010
देहरादून, दिनांक–17 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना संख्याः 872/xxiv-B–1/19–32(02)/2010, दिनांकः 17.12.2019 द्वारा प्राख्य उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 की निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव–मा. शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
8. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
11. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की हिन्दी व अंगेजी प्रति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग- में मुद्रित करा इसकी 500 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोक्त।

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 872 xxiv–B–1/19–32(02)/2010
देहरादून, दिनांक–17 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने व दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:–

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–	1.(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराख विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोध सेवा नियमावली, 2019 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008, जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिया जायेगा,अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 4 का संशोधन	4 (1) सेवा में प्रवक्ता पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, परन्तु उपबन्ध यह है कि:– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।	4 (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम(1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट'ख' में दी गयी है, परन्तु (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

3.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 6 का संशोधन	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 8 का संशोधन	8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट'क' में प्रत्येक पद के सम्मुख विर्निदिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए।	8.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास संशोधित परिशिष्ट 'क' में प्रत्येक पद के सम्मुख विर्निदिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। **8.(2) अनिवार्य / वांछनीय अर्हता** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 समय–समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार होगी।

5.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9(दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 9 का संशोधन	9(दो)नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,	9(दो)नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

6.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 10 का संशोधन	10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनय ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

7.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 13 का संशोधन	13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड ।।	13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड ।। भाग ।।। के अध्याय ।।। में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता

	भाग ।।। के अध्याय ।।। में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।	प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु यह कि दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016की धारा–33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

8.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 14 का संशोधन	14 नियुक्ति प्राधिकारी तद्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।	14 नियुक्ति प्राधिकारी तद्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग , अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

9.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उपनियम(2) को विलोपित करते हुए उपनियम(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 15 का संशोधन	15(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की	(2) विलोपित

	आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को जितने वे पर्याप्त समझें और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।	
	(3)आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	(3) आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है, स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरान्त विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

10.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के उप नियम(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 22 का संशोधन	22(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–

	स्तम्भ–1: पद का नाम	स्तम्भ–1: वेतनमान(रू0 में)	स्तम्भ–2: पद का नाम	स्तम्भ–2: वेतनमान(रू0 में)
	प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा	रू0 6500–200–10,500	प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा	47600–151100 लेवल–8

11.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट 'क' की कम संख्या 5, 7 तथा 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट जोड़ दी जायेगी, अर्थात

परिशिष्ट 'क'

(नियम–8 देखिए)

अर्हताएं

	क्र0 सं0	पद का नाम	विद्यमान अनिवार्य अर्हता	प्रतिस्थापित पदनाम	प्रतिस्थापित अनिवार्य अर्हता
परिशिष्ट 'क' का संशोधन	5	प्रवक्ता, हिन्दी	1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2.संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 3.राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0 टी0डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0 एड0)।	प्रवक्ता, हिन्दी	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि।** 3. राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महा विद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
	7	प्रवक्ता संस्कृत	1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से	प्रवक्ता संस्कृत	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से

		संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। 2.राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0 टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0 / शिक्षाशास्त्री)।		संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य– साहित्य, आचार्य– व्याकरण, आचार्य–फलित ज्योतिष, आचार्य–नव्य व्याकरण, आचार्य–वेद, आचार्य– तुलनात्मक दर्शन की उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बी0 एड0 / शिक्षाशास्त्री)।
13	प्रवक्ता, कला (सामान्य शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान /महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	प्रवक्ता, कला	यथावत

मूल नियमावली में परिशिष्ट 'क' के बाद एक नयी परिशिष्ट 'ख' को निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात

परिशिष्ट 'ख'
(नियम–4 देखिए)
वेतनमान एवं सृजित पदों की संख्या

क्र0 सं0	पदनाम	शाखा	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	प्रवक्ता	सामान्य शाखा	रू0 47600–151100 लेवल–8	11,156
2	प्रवक्ता	महिला शाखा	रू0 47600–151100 लेवल–8	1349

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dehradun, dated: 2019 for general information.

Government of Uttarakhand

Secondary Education Section- 1

No. ८७२/XXIV- / B-1/19-32(02)/2010

Dehradun, Dated: १७ December, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2008, namely:-

The Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) (Amendment) Service Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called "the Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) (Amendment) Service Rules, 2019".

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the 'Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2008 (hereinafter referred to as principal Rules) in sub rule (1) of rule 4 as set out in Column-1 below the sub rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely-

	Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
Cadre of Service	4(1). The strength of the service of posts of Lecturer shall be such as may be determined by the Government from time to time, provided that: (i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation. (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	**4(1).** The strength of service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. **(2)** The strength of Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as given in Appendix "B": Provided that: (i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation. (ii) The Governor may create such

additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Amendment of rule 6

3. In the Principal Rules, in rule 6 as set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
6. Reservation for the candidate belonging to Scheduled castes, Schedule tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.	6. Reservation for the candidate belonging to Scheduled castes, Schedule tribes, Other Backward Classes, Economically weaker sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.

Amendment of rule 8

4. In the Principal Rules, in rule 8 as set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
8. A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications specified against each post in Appendix 'A'.	8. (1). A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications specified against each post in amended Appendix 'A'. 8(2). **Essential/ desirable qualification**: The Essential/ Desirable qualification for the recruitment of Group 'C' posts within the purview of Uttarakhand The Public Service Commission and Outside the purview of Public Service Commission Rules, 2010, as amended from time to time, shall be applicable as per its provisions.

Amendment of rule 9

5. In the Principal Rules for the existing rule 9(ii) as set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
9(ii). Obtained a 'B' certificate of the National	**9(ii).** Obtained a 'B' or "C" certificate of the National Cadet Corps,

Cadet Corps,

Amendment of rule 10

6. In the Principal rules for the existing rule 10 as set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more the 42 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand, as may be notified by the State Government from time, to time shall be greater by such number of years as may be prescribed.

Amendment of rule 13

7. In the Principal Rules for the existing rule 13 as set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II,	13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III: Provided that in order of the

Part III:	
Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.	section 33, the posts identified under section 34 of the Rights of Person with disability Act, 2016 the disabled shall not be denied for appointment as per rules. Provided further that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Amendment of rule 14

8. In the Principal Rules for the existing rule 14 set out below in column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
14. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, vacancies to be filled by direct recruitment and shall be intimated to the Commission.	**14.** The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Other Categories and economically weaker section belonging to the State of Uttarakhand belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

Amendment of rule 15

9. In the Principal Rules by omitting existing sub rule (2) of rule 15 in column 1 below in place of sub rule (3) the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
15(2). The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other categories to the state of Uttarakhand in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualifications as they consider proper.	**15(2).** Omitted.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be larger (but no larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.	**(3)** The Commission after conducting subject wise written examination, shall prepare a subjectwise list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the written examination. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority. Screening examination may be conducted by the Commission on the more number of candidates for written examination, after screening, subjectwise written exam shall be conducted.

Amendment of rule 22

10. In the Principal Rules for the existing sub rule (2) of rule 22 as set out in below column 1, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1

Existing rule

22(2). The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows—

Name of post	pay scale (in Rs.)
Lecturer Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre)	6500-200-10500

Column-2

Rule hereby substituted

22(2). The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows--

Name of post	pay scale (in Rs.)
Lecturer Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre)	47600-151100 Level-8

Amendment of Appendix "A"

In the Principal Rules for the existing serial numbers 5, 7 and 13 of Appendix -'A' as set out below in column -1 the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely-

Appendix "A"
(see rule 8)
Qualification

Column-1 Existing essential qualification			Column-2 substituted essential qualification		
Sl.	**post**	**qualification**	**Sl.**	**post**	**qualification**
5	**Lecturer Hindi**	(1) A post graduate degree in Hindi of a University established by law in India. (2) A Bachelor's degree in Arts with Sanskrit or a certificate of Shastri Examination of Sanskrit University, Varanasi. (3) L.T. diploma of a Government or Government recognised training institution/ college or graduate degree in education (B.Ed) from an University established by law.	5	**Lecturer Hindi**	(1) A post graduate degree in Hindi of a University established by law in India. (2) A Bachelor's degree with Sanskrit from any University established by law in India or degree of Shastri from any University established by law in India. (3) L.T. diploma of a Government or Government recognised training institution/ college or graduate degree in education (B.Ed) from an University established by law.
7	**Lecturer Sanskrit**	(1) A post graduate degree in Sanskrit of a University established by law in India. (2) L.T. diploma of a Government or Government recognised training institution/ college or graduate degree in education (B.Ed/ Shiksha Shastri)	7	**Lecturer Sanskrit**	(1) A post graduate degree in Sanskrit of a University established by law in India or degree of Acharya Literature, Acharya-Grammer, Acharya-Astrology, Acharya- New Grammer, Acharya-Vedas, Acharya-Comparative Philosophy from any Sanskrit

		from an University established by law.			University established by law. (2) L.T. diploma of a Government or Government recognised training institution/ college or graduate degree in education (B.Ed/ Shiksha Shastri) from an University established by law.
13	**Lecturer Art (General Branch)**	(1) A post graduate degree in Drawing and painting of a University established by law in India. (2) L.T. diploma of a Government or Government recognised Training Institution/ College or graduate degree in education (B.Ed) from a University established by law.	13	**Lecturer Art**	Ditto

In principal rules after Appendix 'A' a new Appendix "B" shall be inserted namely-

Appendix "B"

(see rule 4)

Scale of pay and Strength of created posts

Sl.	name of post	Branch	scale of pay	strength of created posts
1	Lecturer	General Branch	Rs. 47600-151100 Level-8	11,156
2	Lecturer	women's Branch	Rs. 47600-151100 Level-8	1349

By Order,

(R.Meenakshi Sundram)
Secretary.